रजिस्टर्ड नं० एच०-33-एस० एम०/13-14/97.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 जुलाई, 1997/3 श्रावण, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 मई, 1997

संख्या एल० एस० जी०-ए० (3) 8/96.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 202 (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 219 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, नगरपरिषद् श्री नयना देवी जी द्वारा बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियों को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 217 के अधीन यथा अपेक्षित पुष्टि किए जाने पर एतद्-द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये उप-विधियां श्री नयना देवी जी, ज़िला बिलासपुर, नगरपरिषद् की सीमाओं के भीतर, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगी अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम श्री नयना देवी जी (नगरपालिका क्षेत्र में ठेलों को नियमित और नियन्त्रित करने हेतु) उप विधियां, 1997 है ।

1510-राजपत्र/97-25-7-97—1,253.

2. परिभाषाएं.—(1) इन उप विधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) अभिप्रेत है।
(ख) "कार्यकारी अधिकारी" से अधिनियम की धारा 305 (1) के अन्तर्गत नियुक्त कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है ।
(ग) "ठेला" से परिवहन या वस्तुओं के बिक्रय के लिए फेरी लगाने के लिए नियोजित द्विपहिया, तिपहिया, और चार पहियों वाली गाड़ी अभिप्रेत है ।
(घ) "अनुज्ञप्ति" से इन उप विधियों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ।
(.) "अनुज्ञाप्ति अधिकारी" से नगरपालिका द्वारा ठेलों की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।

(2) शब्द और पद जो इन उप विधियों में प्रयुक्त किए है किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में है ।

3. कोई भी व्यक्ति नगर परिषद् की सीमा के भीतर परिवन अथवा फेरी लगाकर सामान बेचने के लिए कोई भी ठेला प्रयोग में नहीं लायेगा जिसके लिए नगर परिषद् से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की गई है ।

4. नगर परिषद् के किसी भी क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के ठेले के प्रयोग को प्रतिबंध करने का अधिकारी नगर परिषद् के पास आरक्षित होगा ।

5. ठेले के लिए अनुज्ञप्ति अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा जारी की जायेगी जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है । अनुज्ञप्ति जारी करते समय, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् अनुज्ञप्तिधारी को 10/- रुपये के मूल्य पर, एक संख्यांक प्लेट जारी करेगा । संख्यांक प्लेट ठेले के सहजदृष्य स्थान पर लगाई जायेगी । प्लेट गुम हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी तुरन्त कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् को सूचित करगा और विहित प्रभार पर दूसरी संख्यांक प्लेट प्राप्त करेगा ।

टिप्पणी.—5′×3′ से अधिक परिमाण के ठेले हेतु अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी ।

6. उप-विधि 4 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:—

(क) ठेला जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है, संख्यांक प्लेट के बिना प्रयोग नहीं किया जायेगा। संख्यांक प्लेट ठेले पर लगानी होगी और प्रतिस्थापित अथवा भद्दी नहीं की जायेगी ।
(ख) ठेला अनुज्ञप्ति धारक ठेलों को किसी भी स्थान पर स्थाई रूप से नहीं रखेगा बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता फिरता रखेगा।
(ग) ठेले को अनुज्ञापन प्राधिकारी की सन्तुष्टी के अनुसार साफ-सुथरी और उचित दशा में रखा जायेगा ठेले का प्रभारी भी साफ सुथरा रहेगा । शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति को जब तक किसी स्वास्थ्य अधिकारी उसको योग्य घोषित नहीं कर देता ठेला चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(घ) ठेले में बिक्री हेतु रखी वस्तुओं को साफ व बन्द बर्तनों/पात्रों में रखा जायेगा ताकि वस्तुएं मक्खियों आदि से सुरक्षित रहो।
(ङ) नगरपरिषद् द्वारा इस रूप में घोषित निरीक्षण अधिकारी द्वारा जब अपेक्षित हो, तो ठेले को नगर परिषद् क कार्यालय अथवा निरीक्षण हेतु निश्चित अन्य स्थान पर ले जाना पड़ेगा ।
(च) रात्रि के समय ठल को प्रर्याप्त रोशनी क बिना नहीं चलाया जाएगा ।
(छ) अनुज्ञप्ति धारी यातायात के सभी नियमों और अनुज्ञापन प्रधिकारी अथवा नगरपरिषद् द्वारा जारी किए गए अन्य आदेशों का पालन करेगा ।

(ज) अनुज्ञाप्ति धारी ठेले पर काम करते समय अनुज्ञप्ति अपने पास रखेगा और उसे कार्यकारी अधिकारी अथवा नगरपरिषद् के सदस्य अथवा नगर परिषद द्वारा निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अन्य अधिकारी के मांगने पर प्रस्तुत करेगा ।

(झ) सामान ढोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ठेले पर विहित वजन से अधिक नहीं भरा जायेगा ।

7. नवीकरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को या उससे पूर्व नगर परिषद् के कार्यालय में जमा कराया जाएगा ।

8. (क) अनुज्ञप्ति ठेले के दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी एक सप्ताह की अवधि के भीतर नगर परिषद् को सूचित करेगा जिस पर अन्तरिती की विशिष्टियों का अभिलेख अनुज्ञप्ति पर दर्ज किया जायेगा ।

(ख) अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुपालन के लिए मूल अनुज्ञप्ति धारक ही जिम्मेदार होगा जबकि अनुज्ञप्ति का अन्तरिती को हस्तांतरण नहीं कर दिया जाता ।

9. वर्ष में ठेलों की सीमित संख्या अनुज्ञप्त की जायेगी अनुज्ञप्ति के स्वीकृत अथवा इन्कार करने का अधिकार नगर परिषद् के पास आरक्षित होगा ।

10. कोई भी अनुज्ञप्ति किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अनुज्ञापन प्रधिकारी द्वारा रद्दकरण हेतु दायी होगा जिसके विरुद्ध अपील नगर परिषद् को की जा सकेगी ।

11. ठेले पर माल वहन हेतु ढुलाई प्रभार समय-समय पर नगर परिषद् द्वारा नियत किया जायेगा और अनुज्ञप्ति धारक नियंत्रण के पालन हेतु बाध्य होगा ।

12. ठेले की मासिक फीस निम्नलिखित होगी जो अग्रिम रूप में देय होगी:—

30/- रूपये प्रति मास प्रति ठेला ।

13. शास्ति.—इन उप-विधियों में से किसी का भी उल्लंघन जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कि 100/- रुपये तक का हो सकता है और जब उल्लंघन लगातार हो तो अगले जुर्माने से जो कि प्रथम के पश्चात् जिसके दौरान उल्लंघन लगातार रहा, प्रत्येक दिवस के लिए 10/- रुपये हो सकता है ।

14. निरसन और व्यावृत्तियां.—श्री नयना देवी जी नगर परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत पौंटा साहब नगर पालिका की, ठेला विनियमन और नियंत्रण उप-विधियों का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहां तक ये नगर परिषद् श्री नयना देवी जी की सीमाओं के भीतर वाले क्षेत्रों को लागू है :

परन्तु इस प्रकार निरसित उप-विधियों के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्रवाई इन उप-विधियों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया माना जाएगा ।

आदेश द्वारा,
रवि ढींगरा,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English Text of Government Notification No. LSG-A*(3)8/96, *dated* 14-5-1997 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 14*th May*, 1997

No. LSG-A(3)8/96.—The following bye-laws made by the Municipal Council Shri Naina Devi Ji in exercise of the powers conferred by section 202(*u*) and by following the procedure laid down under section 219 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and having been confirmed by the Governor, Himachal Pradesh as required under section 217 of the aforesaid Act, are hereby published. These shall come into force within the limits of Muunicipal Council, Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, Himachal Pradesh from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), namely:—

1. *Short title* .—These bye-laws may be called the Municipal Council Shri Naina Devi Ji (Regulation and Control of Hand Carts) Bye-laws, 1997.

2. *Definition.*—(1) In these bye-laws unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh, Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);

(*b*) "Executive Officer" means the Executive Officer appointed under section 305(1) of the Act ;

(*c*) "Handcart" means a two wheeled, three wheeled or four wheeled cart employed for transport or hawking articles for sale ;

(*d*) "Licence" means a licence granted under these bye-laws; and

(*e*) "Licencing Officer" means the officer appointed by the Municipal Council for the grant of licence.

(2) The words and expressions used but not defined in these bye-laws shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. No person shall employ any hand cart for transport or hawkings articles for sale within the municipal limits for which a licence has not been obtained from the Municipal Council.

4. Right to prohibit the use of any type of hand cart within any area of Council shall be reserved with the Municipal Council.

5. Licence for hand cart shall be issued by the Executive Officer, Municipal Council (hereinafter referred to as the licensing authority). While issuing the licence, the Executive Officer, Municipal Council shall issue to the licensee a number plate which shall cost Rs. 10/-. The number plate shall be fixed at a conspicuous place of the hand cart. On loss of any number plate the licensee shall inform the Executive Officer, Municipal Council forthwith and obtain a second plate against the prescribed charges.

Note.—Licence shall not be issued for a hand cart of more than 5′×3′ size.

6. Licence issued under bye-law 4 above shall be subject to the following conditions :—

(*a*) Handcart for which licence has been issued shall not be used without the number plate. Number plate shall have to be fixed on the hand cart and shall not be replaced or made rough.

(*b*) The licence holder of any hand-cart shall not keep the hand cart permanently at one place but keep it moving from one place to another.

(*c*) The hand cart shall be kept clean and in proper order to the satisfaction of licensing authority. The incharge of the handcart shall also be neat and clean. A physically unfit person shall not be permitted to run the handcart until a Medical Officer declared him fit.

(*d*) The food articles kept on the hand cart for sale shall be kept in clean and covered pots/containers so as to keep the article safe from flies etc.

(*e*) The hand-cart shall have to be taken to Municipal Office or any other place fixed for inspection when desired by the Inspecting Officer, so declared by the Municipal Council.

(*f*) The hand-cart shall not be plied without adequate light during the night hours.

(*g*) The licensee shall abide by all the traffic rules and other orders issued by the licensing authority or the Municipal Council.

(*h*) The licensee shall keep the license with him while working on the cart and shall produce it on demand to the Executive Officer or Member of Municipal Council or any other officer authorised by the Municipal Council for inspection.

(*i*) The hand cart used for carriage of goods shall not be loaded with more than the prescribed weight.

7. Licence for renewal shall be deposited with the Municipal Council Office on or before 21st March every year.

8. (*a*) In case the licensed hand-cart is transferred to any other person, the licensee shall inform the Municipal Council within one week's period whereupon the particulars of transferee shall be recorded on the license.

(*b*) Original licensee shall be responsible for all the conditions of license until and unless the license is transferred to the transferee of hand-cart.

9. A limited number of hand-cart shall be licensed in a year. Right of grant or refusal of license shall be reserved with the Municipal Council.

10. Any license in violation of any condition shall be liable for cancellation by the licensing authority against which appeal shall lie to the Municipal Council.

11. The freight charges of the carriage of goods on hand-carts shall be fixed by the Municipal Council from time to time and the licensee shall be bound to abide by the fixation.

12. Monthly fees of hand-cart shall be as under which will be payable in advance:—

Fee Rs. 30/- per hand-cart per month.

13. *Penalty.*—Breach of any of these bye laws be punishable with a fine which may extend to Rs. 100/- and when the breach is a continuing breach, with a further fine which may be ten rupees for every day after first during the breach continues.

14. *Repeal and saving.*—The Regulation and control of hand-carts Bye-Laws of Paonta Sahib Municipality as adopted by the Municipal Council Shri Naina Devi Ji, are hereby repealed to the extent these were made applicable to the area falling within the limits of Municipal Council Shri Naina Devi Ji :

Provided that any order made or action taken under the bye-laws so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these bye-laws.

By order,

RAVI DHINGRA,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।